प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- सितम्बर, 2017**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1615/एफ-31(7)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2017-18, दिनांक-08.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में गैर-वेतन मद के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-18/2017/पी-222/अड़तीस-9-2017-03(बजट)/2016, दिनांक-24.04.2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 83,33,000.00 (रूपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 1,16,67,000.00 (रूपये एक करोड़ सोलह लाख सरसठ हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2. धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं जमा किया जायेगा।

3. धनराशि को एक मुश्त आहरित न करते हुए अपितु इसका आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

-2/

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-636/दस-2017, दिनांक-18.09.2017 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सहदेव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-35/2017/पी-581(1)/अड्तीस-9-2017, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
8- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।